



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई०

ज्येष्ठ ०६, १९२५ शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

• विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या १८१/विधायी एवं संसदीय कार्य/२००३

देहरादून, २७ मई, २००३

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003, पर १६-०४-२००३ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या ०९, सन् २००३ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थे इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम सं ०९, सन् २००३)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में
अग्रेतर संशोधन के लिए :-

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

१. (१) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विरतार और
प्रारम्भ

उत्तरांचल असाधारण गजट, 27 मई, 2003 ई० (ज्येष्ठ 06, 1925 शक समवत)

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की
धारा 3 (2) का
संशोधन

मूल अधिनियम, की धारा 3 (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :—

2. “आयोग में प्रतिष्ठित, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और चार सदस्य, जिनमें एक महिला हो होंगे; परन्तु अध्यक्ष सहित चार सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे।

आज्ञा से,

मरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand Minority Commission (Amendment) Bill, 2003 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 09 of 2003) for general information:

No. 181/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor
April 16, 2003

THE UTTARANCHAL MINORITY COMMISSION (AMENDMENT) ACT 2003 (UTTARANCHAL ACT NO. 09 OF 2003)

AN

ACT

To further amend the Uttarakhand Minority Act, 2002 in its application to Uttarakhand.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows.

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Minority Commission (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall be deemed to have come into force at once.

In section 3(2) of the Minority Commission Act, 2002 (hereafter referred to as the Principal Act) the following section shall be substituted namely,

2. The Commission shall consist of a Chairman and Four members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman; provided that the Chairman and other Four members shall be from amongst the minority communities.

By Order,

BHAROSI L
Sach

पी०एस००० (आर०५०) 11 विधायी/ 141-2003-500 (कम्पूटर/ रीजियो)।